

dry farming and water management practices. The State Government also proposes to provide cash doles to 2 lakh indigent persons who cannot be covered under the Relief works programme. The State Government has also re-scheduled the short-term co-operative loans and waived the interest liability in respect of short-term loans given to small and marginal farmers in the drought affected areas. At the request of the State Government a Central Team visited Gujarat from the 19th to the 21st May, 1980 for an on-the-spot assessment of the drought situation and recommending Central assistance. The State Government has been allocated 10,000 MT foodgrains under the Food for Work Programme in April, 1980. On the basis of the report of the Team, Central assistance will be released very shortly. Government of India have already allocated short-term loan of Rs. 4 crores for purchase and distribution of agricultural inputs during Kharif season.

Payment of Salary to Teachers of K.S.D. Sanskrit University

93. SHRI HARINATH MISHRA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that K.S.D. Sanskrit University, Bihar, is a recognised institution by the U.G.C.;

(b) whether teachers of Sanskrit colleges and Vidyalayas affiliated to the University are either not receiving their salary according to norms prescribed by the State Government, or receiving no emoluments at all; and

(c) if so, the number of teachers involved and the steps that have been taken or are proposed to be taken to remove their grievances?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). As the Sanskrit Colleges affiliated to, and the Vidyalayas

recognised by, the KSD Sanskrit University receive financial assistance from the Government of Bihar, the State Government has been requested to look into the matter.

चीनी के कारखाना मूल्य कम करने के लिए चीनी मिल मालिकों को निदेश

94. श्री कमल मिश्र मधुकर:
श्री ओस्कर फर्नाण्डिस :
श्री के. प्रधानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सभी चीनी मिल मालिकों को निदेश जारी किये हैं अथवा कोई अपील की है कि वे स्वेच्छा से चीनी के कारखाना मूल्य कम करें ;

(ख) यदि हां, तो कितने चीनी मिल मालिकों ने इस निदेश का पालन किया है और कितने चीनी मिल मालिकों ने इसका पालन नहीं किया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पूर्व चम्पारन जिले के बाराचकियां और मांती-हारी शहर मिल द्वारा सरकार के इस निदेश का पालन किया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि यदि चीनी मिल मालिकों द्वारा इस निदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) (क) से (ङ): सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किया है क्योंकि चीनी की माँजूदा दोहरी मूल्य प्रणाली जिसमें केवल लेवी चीनी का सांविधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है, के अधीन ऐसा निदेश करने का विचार नहीं है और इसलिए इस संबंध में व्यक्तिगत मिलों की प्रतिक्रिया को निगरानी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सरकार सामान्यतया खूली बिक्री की चीनी के मूल्यों पर निगरानी रख रही है और जब वे अनुचित रूप से ऊँचे स्तर तक पहुँच जाते हैं तब

उन्हें नीचे जाने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं। इसलिए इसी संदर्भ में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 31 मार्च, 1980 को देश के चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था ताकि खुली बिक्री की चीनी के मामले में स्वच्छा-मूल्य-विनियमन नीति तैयार की जा सके। बाद में, 23 मई, 1980 को राज्य के खाद्य सचिवों की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों से इस बात पर बल देते हुए कहा कि वे चीनी मिलों के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखें और उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे उचित मूल्य पर चीनी सप्लाई करने में सहयोग नहीं देती हैं तो जल्दी पेरार्ड कार्य शुरू करने और मौजूदा क्षमता का विस्तार करने आदि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसके लिए वे हकदार नहीं हो सकेंगी।

गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान न किए जाने के कारण चीनी उत्पादन में गिरावट

95. श्री के. एम. मधुकर:

श्री रामाचतार शास्त्री :

श्री आर. के. महालगी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष चीनी उत्पादन में 27.9 प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उत्पादन में इस गिरावट का कारण यह है कि सरकार गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यापार क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गन्ने की खेती के अन्तर्गत आमने वाले क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.जी. स्वामीनाथन): (क) अनुमान है कि वर्तमान

मासिम 1979-80 के दौरान चीनी का उत्पादन 39.5 लाख मीटरी टन हो जाएगा जबकि 1978-79 मासिम में उत्पादन 58.44 लाख मीटरी टन हुआ था अर्थात् उत्पादन में 32.4 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ख) जी नहीं। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होना और सूखा, प्रतिकूल मौसम स्थिति आदि जैसे कई एक कारणों से गन्ने के उत्पादन में बहुत अधिक कमी होना है।

(ग) और (घ). गन्ने का उपयोग सामान्यतया उपयोगकर्ताओं के तीन भिन्न-भिन्न वर्गों अर्थात् चीनी फैक्ट्रियों, खण्डसारी यूनिटों और गुड़ निर्माताओं द्वारा किया जाता है। जहां तक चीनी फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा दिये न्यूनतम मूल्यों को प्रत्येक मासिम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उत्पादन लागत, वार्षिक फसलों से उत्पादकों के लिए लाभ, गन्ने से चीनी की प्राप्ति आदि जैसी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में उल्लिखित कई एक बातों को ध्यान में रखकर सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ये मूल्य निर्धारित करते समय, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और चीनी फैक्ट्रियों की एसोसिएशनों तथा गन्ना उत्पादकों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का 1977-78 के 8.50 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 में 10.00 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया था और अधिक प्राप्तियों के लिए अनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था कर 8.5 प्रतिशत अथवा उससे कम चीनी की प्राप्ति पर मूल्यों को 1979-80 में और बढ़ाकर 12.50 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

जहां तक गुड़ और खण्डसारी यूनिटों का संबंध है, सामान्यतया मूल्य संबंधी कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को खण्डसारी यूनिटों द्वारा दिये न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और जब कभी समझा जाता है कुछ एक राज्य, यूनिटों द्वारा दिये मूल्य निर्धारित करती हैं।

(ङ.) और (च). गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में 1978-79 में 1.0 प्रतिशत की गिरा-